#(2024/50) Gems (D)

प्रतिलिपि - 23.4.2024

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

मंगतुखां आदि बनाम नियामत आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 119 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28.03.2024	वादीगण द्वारा यह वाद पत्र जरिये वकील पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 03.04.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3.4.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित/PU माहिर अदमपूर्ति में उपस्थित हैं। पत्रावली [illegible] वास्ते [illegible] दिनांक 15.4.2024 को पेश हो। [illegible] प्रतिवादी [illegible] ने [illegible] महाराने के वकालतनामा पेश किया (हस्ताक्षर)	
15.4.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी [illegible] ने जरिये वकील मदनलाल वर्मा उपस्थित आकर जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते [illegible] की [illegible] आईन्दा तारीख 23.4.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	[illegible] प.क्र. 6 (हस्ताक्षर)
23.4.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित। [illegible] जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] वादी प्रतिवादी की आपसी सहमति के आधार पर वाद [illegible] डिक्री किया जाता है। पूर्ण [illegible] सहित निर्णय अलग से [illegible] शामिल फाईल किया जावे। पत्रावली [illegible] जाकर बाद तकमील [illegible] दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 14:46:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6—7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :—119/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. मंगतुखॉ पुत्र फतुखॉ जाति मुस्लमान निवासी 4 डी डब्ल्यु एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. .श्योकतखॉ पुत्र फतुखॉ जाति मुस्लमान निवासी 4 डी डब्ल्यु एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. राजुखॉ पुत्र फतुखॉ जाति मुस्लमान निवासी 4 डी डब्ल्यु एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. कालुखॉ पुत्र फतुखॉ जाति मुस्लमान निवासी 4 डी डब्ल्यु एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. हसनखॉ पुत्र फतुखॉ जाति मुस्लमान निवासी 4 डी डब्ल्यु एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

—वादीगण

बनाम

1. नियामत पुत्री फतुखॉ पत्नी कश्मीरखॉ जाति मुस्लमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रहमत पुत्री फतुखॉ पत्नी निजामखॉ जाति मुस्लमान निवासी 4 डी डब्ल्यु एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. हाजरा पत्नी फतुखॉ जाति मुस्लमान निवासी 4 डी डब्ल्यु एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. ईमरानखॉ माता का नाम बलकिसा पुत्र अश्रफ अली जाति मुस्लमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. आमीना माता का नाम बलकिसा पुत्री अश्रफ अली पत्नी गुलाब अली जाति मुस्लमान निवासी ढाणी लालखॉ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. अश्गर अली माता का नाम भवरी पुत्र खॉन मोहम्मद जाति मुस्लमान निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सकीना माता का नाम भवरी पुत्री खॉन मोहम्मद पत्नी ईकबालखॉ जाति मुस्लमान निवासी चक मेघसिंहपुरा, सोरी सोंनारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. सरीना माता का नाम भवरी पुत्री खॉन मोहम्मद पत्नी भवरूखॉ जाति मुस्लमान निवासी चक मेघसिंहपुरा, सोरी सोंनारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. जमीला माता का नाम भवरी पुत्री खॉन मोहम्मद पत्नी जीरूखॉ जाति मुस्लमान निवासी चक मेघसिंहपुरा, सोरी सोंनारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. मदीना माता का नाम भवरी पुत्री खॉन मोहम्मद पत्नी रमजान .जाति मुस्लमान निवासी चक मेघसिंहपुरा, सोरी सोंनारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. रूकसाना माता का नाम भवरी पुत्री खॉन मोहम्मद पत्नी अबासखॉ.जाति मुस्लमान निवासी रीडमलसर तहसील बिकानेर जिला बिकानेर।
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः— श्री अर्जनलाल वर्मा वकील वादीगण

श्री मदनलाल वर्मा, निर्मल माहेश्वरी वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 11

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 12

निर्णय दिनांक— [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 14:46:40 IST
Reason: SelfAttested

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 4 डी डब्ल्यु एम तहसील रावतसर के प.न. 193/30(53) के किला 1/2, 1/3, 2/1, 2/2,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7/2, 14, 15 की कुल 2.137 है. में से प्रतिवादी सं. 1 को 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 को 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 को मृतक भंवरी पुत्री फतुखां के 1/10 हिस्सा में से 1/6 हिस्सा की खातेदार काश्तकार एवं शेंष भूमि के वादीगण को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.4.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 14:46:40 IST
Reason: SelfAttested